ग्राम पंचायत टऊ, विकास खण्ड धर्मशाला, जिला कागड़ा के

लेखाओं का अंकेक्षण एंव निरीक्षण प्रतिवेदन

अवधि 01/04/2016 से 31/03/2017

भाग –1

1 **(क) प्रस्तावनाः–**

ग्याहरवें वित्त आयोग की सिफारिशों के फलस्वरूप हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम 1994 की धारा 118 में संशोधन होने व संयुक्त निदेशक एंव उप सचिव पंचायती राज विभाग के पत्र संख्या PCH-HC-5C(15)LAD/**2006**-12669 दिनांक 07.04.2016 द्वारा पंचायती राज संस्थाओं के अंकेक्षण का दायित्व निदेशक, स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग, हि0प्र0, को सौंपे जाने के दृश्टिगत, ग्राम पंचायत टऊ, विकास खंण्ड धर्मशाला, जिला कागडा के अवधि 01/04/2016 से 31/03/2017 के लेखाओं का अंकेक्षण कार्य स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग द्वारा किया गया। गाम पंचायत टऊ, का गठन सचिव, पंचायती राज विभाग हि0प्र0 सरकार की अधिसूचना संख्याः पसीएच–एचए (1)2/2014–पुर्नगठन, कांगड़ा, शिमला–171009, दिनांक 28.10.2015 द्वारा किया गया।

अंकेक्षण अवधि के दौरान ग्राम पंचायत में निम्नलिखित प्रधान व सचिव कार्यरत थेः–

प्रधान :–

क्र0	नाम	अवधि
1	श्री हंसराज	23.01.2016 से लगातार

सचिव :–

क्र0	नाम	अवधि
1	श्री करनैल सिंह	23.01.2016 से लगातार

(ख) गम्भीर अनियमितताओं का सार :– ग्राम पंचायत टऊ विकास खण्ड धर्मशाला, जिला कागड़ा के अवधि 01/04/2016 से 31/03/2017 के लेखाओं के अंकेक्षण एंव निरीक्षण के दौरान पाई गई गम्भीर अनियमितताओं का सार निम्न प्रकार से है :–

क्रम संख्या	पैरा सं0	अनियमितता का संक्षिप्त सार	राशि (लाखों में)
1	7	पंचायत राजस्व की शेश वसूली	0.26
2	8	अनुदान राशि का अवरोधन	5.40

भाग–दो

2 वर्तमान अंकेक्षण :–

ग्राम पंचायत टऊ, विकास खण्ड धर्मशाला, जिला कागड़ा के अवधि 01/04/2016 से 31/03/2017 के लेखाओं का प्रथम एंव वर्तमान अंकेक्षण श्री विरेन्द्र कुमार, अनुभाग अधिकारी तथा श्री मनमोहन शर्मा क0ले0प0, द्वारा दिनांक 24.08.17 से 25.08.17 तक ग्राम पंचायत टऊ, के कार्यालय में किया गया। लेखाओं की विस्तृत जांच हेतु आय के लिए माह 04/16 एवं व्यय के लिए माह 02/17 का चयन किया गया, जिसके परिणामों को आगामी पैरा ग्राफों में समाविश्ट किया गया है।

इस अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवदेन का प्रारूपण पंचायत के नियन्त्रक अधिकारी द्वारा उपलब्ध करवाई गई सूचनाओं एवं अभिलेख के आधार पर किया गया है। उक्त पंचायत द्वारा अंकेक्षण को उपलब्ध करवाई गई किसी भी सूचना/अभिलेख के अपूर्ण/गलत व उपलब्ध न होने की स्थिति में अंकेक्षण प्रतिवदेन पर होने वाले किसी भी प्रभाव हेतु स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग, हि•प्र• उत्तरदायी नहीं होगा।

3 अंकेक्षण शुल्क:–

ग्राम पंचायत टऊ, विकास खण्ड धर्मशाला, जिला कांगड़ा के अवधि 01/04/2016 से 31/03/2017 के लेखाओं अंकेक्षण हेतु अंकेक्षण शुल्क ₹2700 बनता है। उक्त अंकेक्षण शुल्क की राशि को रेखांकित बैंक ड्राफ्ट के माध्यम से निदेशक, स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग, हि•प्र• शिमला–171009 को शीघ्रातिशीघ्र प्रेषित करने हेतु अंकेक्षण अधियाचना सं• 17–19 दिनांक 25/8/2017 द्वारा सचिव, पंचायत टऊ से अनुरोध किया गया।

4 वित्तीय स्थिति :–

ग्राम पंचायत टऊ विकास खंण्ड धर्मशाला, जिला कागड़ा द्वारा प्रस्तुत अभिलेख के अनुसार ग्राम पंचायत की अवधि 1/4/2016 से 31/03/2017 के लेखाओं की वित्तीय स्थिति निम्न प्रकार थी :

4.1 स्व स्त्रोत व अनुदान :–

ग्राम पंचायत टऊ के अवधि 1/04/2016 से 31/03/2017 तक स्व स्त्रोतों व अनुदान की वित्तीय स्थिति का संकलित विवरण निम्न प्रकार से है :

(क) स्व स्त्रोत

वर्श	अथशेश	पावतियां	ब्याज	कूल योग	व्यय	अन्तशेश
2016.17	—	132200.00	2237.00	134437.00	43920.00	90517.00

(ख) अनुदान

वर्श	अथशेश	पावतियां	ब्याज	कुल योग	व्यय	अन्तशेश
2016—17		776648.00	9101.00	785749.00	246224.00	539525.00

कुल योग (क+ख) ₹630042

दिनांक 31.3.2017 को बैंक में जमा राशि का विवरण :–

क्रम सं0	बैंक का नाम	खाता संख्या	जमा राशि
1	के0सी0सी0 बैंक धर्मशाला	50063005628	90517.00
2	के0सी0सी0 बैंक धर्मशाला	50063007411	26687.00
3	के0सी0सी0 बैंक धर्मशाला	50063007499	96000.00
4	के0सी0सी0 बैंक धर्मशाला	50063009167	416838.00
		कुल योग :	**₹630042.00**

5 वित्तीय नियमों की अनुपालना न करना:–

5.1 रोकड़ बही का लेखाकंन नियमानुसार न करना:–

ग्राम पंचायत टऊ की रोकड बही के अवलोकन में पाया गया कि पंचायत द्वारा हि0प्र0 पंचायती राज (वित बजट लेखे ,संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 7(1 से 3) की रोकड़ बही के लेखांकन में नियमों की पूर्ण अवहेलना की जा रही है। ग्राम पंचायत टऊ के लेखों की जांच में रोकड़ बही के सन्दर्भ में नियम–विरूद्ध की जा रही निम्न विसंगतियां पाई गई हैं:–

(क) लेखांकन के सामान्य तथा प्रचलित नियमों के अनुसार रोकड़ बही प्रतिदिन हुए लेनदेन की प्रविष्टियों उपरान्त बन्द करते हुए अन्तशेष निकालना अपेक्षित है तथा मासान्त एवं वर्षान्त में उपलब्ध हस्तगत शेष तथा बैंक शेष का विवरण हि•प्र• पंचायती राज (वित बजट लेखे, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 7(2 व 3) के अनुसार भी पंचायत प्रधान द्वारा सत्यापित किया जाना अपेक्षित है। परन्तु ग्राम पंचायत टऊ की रोकड़ बहियों के रख रखाव में इन नियमों की अनुपालना नहीं की गई है, तथा न तो माह के अन्त में अन्तशेश निकाला जा रहा है ना ही प्रत्येक माह की अन्तशेश राशि का मिलान बैंक में जमा राशि से किया जा रहा है, अतः नियमों के विरूद्ध अपनाई गई इस कार्यवाही बारे उचित स्पष्टीकरण प्रस्तुत करते हुए भविष्य के लिए इस बारे नियमानुसार कार्यवाही करना सुनिश्चित किया जाए।

5.2 वर्गीकृत सार को तैयार न करनाः–

हि•प्र• पंचायती राज (वित, बजट, लेखे, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 29(4) के अनुसार प्रत्येक पंचायत को प्रारूप 8 में वर्गीकृत सार को तैयार करते हुए, एक आय तथा एक व्यय के लिए दो भागों में बनाया जाएगा जिसमें प्रत्येक मद के लिए एक अलग पन्ने पर प्रत्येक आय तथा व्यय के लेन देन के लिए अलग अलग प्रविष्टि की जाएगी। प्रत्येक माह के अन्त में मासिक तथा प्रगतिशील योग के लिए प्रविष्टि की जाएगी। इस सार को बनाए जाने का उद्देश्य आय तथा व्यय को बजट के अनुसार नियन्त्रित रखा जाना है। ग्राम पंचायत टऊ द्वारा इसके न बनाए जाने के कारण अंकेक्षण के दौरान पंचायत के आय तथा व्यय के आंकड़ों का मिलान बजट के साथ नहीं किया जा सका तथा आय व्यय विवरणी तथा वित्तीय स्थिति का निर्माण करने में भी अतिरिक्त समय की बर्बादी हुई है। इस बारे उचित स्पष्टीकरण प्रस्तुत करते हुए भविष्य के लिए नियमानुसार वर्गीकृत सार का निर्माण करना सुनिश्चित किया जाए।

6 बजट प्राक्कलन नियमानुसार तैयार न करना :–

हि•प्र• पंचायती राज (वित बजट लेखे, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 37 के अनुसार सचिव द्वारा प्रारूप –11 में पंचायत के आय व व्यय के प्राक्कलन तैयार करके ग्राम सभा से पारित करवाना अपेक्षित था। अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि पंचायत द्वारा अंकेक्षण अवधि के लिए पंचायत का बजट प्राक्कलन उपरोक्त वर्णित नियम के अनुसार तैयार नहीं करवाया गया है जिसके कारण स्पष्ट करते हुए भविष्य में नियमानुसार बजट प्राक्कलन तैयार करना सुनिश्चित किया जाए।

7 पंचायत राजस्व 0.26 लाख का वसूली हेतु शेष पाया जानाः–

पंचायत सचिव/सहायक ग्राम पंचायत टऊ द्वारा उपलब्ध करवाई गई सूचना तथा पंचायत की स्व स्त्रोतों से प्राप्त आय से सम्बन्धित उपलब्ध अभिलेख के अंकेक्षण करने पर पाया गया कि निम्न विवरणानुसार दिनांक 31.03.2017 तक पंचायत के राजस्व 26000 की वसूली शेष थी।

गृहकरः–

क्र0सं0	वर्ष	अथशेष	वर्ष के दौरान मांग	योग	वर्ष के दौरान प्राप्तियॉ	अन्तशेष
1	2016–17	शुन्य	7600.00	7600.00	7400.00	200.00
				योग		₹200.00

मोबाईल टाबरः–

क्र0सं0	वर्ष	टाबरों की संख्या	अथशेष	वर्ष के दौरान मांग	योग	वर्ष के दौरान प्राप्त्यिॉ	अन्तशेष
1	2016–17	5	14900.00	14900.00	29800.00	4000.00	25800.00
					योग		25800.00
					कुल योग		**₹26000.00**

अतः उपरोक्त राजस्व की बकाया राशि की वसूली न करने के कारणों को स्पष्ट करते हुए बकाया राशि की वसूली प्राथमिकता के आधार पर करनी सुनिश्चित की जाए।

8 अनुदान ₹5.40 लाख का अवरोधनः–

पंचायत द्वारा अनुदानों से सम्बन्धित उपलब्ध करवाई गई सूचना के अनुसार दिनांक 31–03–2017 तक अनुदान में प्राप्त राशियों में से ₹539525 उपयोग हेतु शेष थी। ग्राम पंचायत द्वारा भिन्न–भिन्न विकासात्मक कार्यों हेतु प्राप्त अनुदानों के स्वीकृति पत्र की शर्त अनुसार अनुदान राशि को विहित अवधि के दौरान व्यय किया जाना था, जबकि पंचायत द्वारा अनुदान की राशि को विहित अवधि के दौरान व्यय न करने के कारण अवरोधन होने के साथ–साथ सरकारी योजनाओं से ग्रामीणों को होने वाले लाभ से भी वंचित होना पड़ा। अतः अनुदान की राशि को विहित अवधि के दौरान व्यय न करने के कारणों को स्पष्ट करते हुए अनुदान के व्यय हेतु सक्षम अधिकारी से अवधि बढ़ौत्तरी की स्वीकृति प्राप्त करके उक्त राशि को व्यय करना सुनिश्चित किया जाये अन्यथा राशियों को प्रत्यार्पण सम्बन्धित संस्था को किया जाये ।

9. 14वॉ वित आयोग से ऋण के रुप में ₹0.30 लाख को आहरित करके सभा निधि में जमा करवानें वारे।

जांच के दौरान पाया गया कि ₹30000 को दिनांक 18.05.2016 को 14वॉ वित आयोग खाते से निकाल कर सभा निधि खाते में जमा करवाये गये हैं नियमों के अनुसार

अनुदान की राशि में से इस प्रकार राशि हस्तांतरण का कोई प्रावधान नहीं है, अतः जिन नियमों के अर्न्तगत ₹30000 का हस्तांतरण सभा निधि खाते में किया गया उन्हें दर्शा कर हस्तांतरित की गई राशि को उचित ठहराया जाये तथा अबिलम्ब ₹30000 को सभा निधि खाते से निकाल कर बापिस 14वॉ वित आयोग खाते में जमा करवाकर अनुपालना से इस विभाग को अवगत करवाया जाये।

10 प्रत्यक्ष सत्यापन :–

हि0प्र0 पंचायती राज (वित बजट लेखे, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 73 के अन्तर्गत पंचायत के भण्डार का प्रत्येक 6 माह के बाद प्रत्यक्ष सत्यापन किया जाना अपेक्षित है परन्तु अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि पंचायत द्वारा भण्डार का नियमानुसार प्रत्यक्ष सत्यापन नहीं किया गया है जिस बारे स्थिति स्पष्ट की जाये तथा इस सन्दर्भ में अविलम्ब उचित कार्यवाही अमल में लाई जाये व अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाये।

11. विहित रजिस्टरों का रख रखाब न करना :–

हि0प्र0 पंचायती राज (वित बजट लेखे, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 29 के अर्न्तगत पंचायत द्वारा विभिन्न रजिस्टरों/अभिलेखों का रख–रखाब किया जाना अनिवार्य था। अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि पंचायत द्वारा निम्न रजिस्टरों/अभिलेखों का रख–रखाव नहीं किया गया था जोकि अनियमित व आपत्तिजनक है। अतः इन रजिस्टरों का रख रखाव न करने का कारण स्पष्ट करते हुए अविलम्ब इनका रख–रखाब नियमानुसार सुनिश्चित किया जाये।

क्रम सं0	अभिलेख/रजिस्टर का नाम
1	निर्माण कार्य रजिस्टर
2	अनुदानों का विनियोजन रजिस्टर
3	विकास निष्पादन रजिस्टर
4	पेशगी रजिस्टर

12. अनुदानों से सम्बन्धित उपयोगिता प्रमाण पत्र प्रस्तुत न करने बारे :–

अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि पंचायत द्वारा अंकेक्षण अवधि के दौरान विभिन्न स्त्रोतों से प्राप्त अनुदानों के उपयोगिता प्रमाण पत्र अंकेक्षण अवधि के दौरान जांच हेतु प्रस्तुत नहीं किये गये जिसके परिणामस्वरूप अवधि के दौरान व्यय की गई अनुदानों की राशि की सत्यतता की जांच नहीं की जा सकी । अतः अंकेक्षण अवधि के दौरान व्यय समस्त अनुदानों

से सम्बधित उपयोगिता प्रमाण पत्रों को आगामी अंकेक्षण पर दर्शाया जाना सुनिश्चित किया जाये ।

13 लघु आपत्ति विवरणिकाः—यह अलग से जारी नहीं की गई है ।

14. निष्कर्ष :— लेखों के रख—रखाब व नियमों की अनुपालना में सुधार की अत्याधिक आवश्यकता है ।

हस्ता/—
(चन्द्रेश हाण्डा)
उप निदेशक
स्थानीय लेखा परीक्षा
हिमाचल प्रदेश, शिमला—171009
फोन नं0 0177—2620881

पृष्ठांकन संख्याः— फिन (एल0ए0) एच (पंच) (15)(2)161/2017 खण्ड—1—1252—1255 दिनांक 20.02.2018 शिमला—09

प्रतिलिपिः— निम्न को सूचनार्थ/आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः—

1 निदेशक, पंचायती राज विभाग हि0प्र0, कुसुम्पटी, शिमला—171009 को पैरा संख्या 1 (ख) में वर्णित अनियमितताओं पर सम्बन्धित पंचायत सचिव को आवश्यक कार्रवाई करने के लिए निर्देश जारी करने हेतु प्रेषित है।

2 जिला पंचायत अधिकारी, कांगड़ा स्थित धर्मशाला, जिला कांगड़ा, हि0प्र0

3 खण्ड विकास अधिकारी, विकास खण्ड धर्मशाला, जिला कांगड़ा हि0प्र0

पंजीकृत 4 सचिव, ग्रम पंचायत टऊ, विकास खंण्ड धर्मशाला, जिला कांगड़ा (हि0प्र0) को इस आशय के साथ प्रेषित की जाती है कि वह इस अंकेक्षण प्रतिवेदन पर उचित कार्रवाई करके सटिप्पण उतर इस विभाग को एक माह के भीतर भेजना सुनिश्चित करें।

हस्ता/—
(चन्द्रेश हाण्डा)
उप निदेशक
स्थानीय लेखा परीक्षा
हिमाचल प्रदेश, शिमला—171009
फोन नं0 0177—2620881